कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बून्दी

स्थान : प्लॉट नं. 02, शिवम कॉलोनी, खेल संकुल के पीछे, बूंदी , दूरभाष/फैक्स 0747-2940061
E-Mail : dlsa9bundi@gmail.com

क्रमांक : 3120 दिनांक : 25/06/2026

–:: विज्ञप्ति ::–

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ 7(29)/रालसा–संस्था/नवीन वाहन चालक पद सृजन/2026/453 दिनांक 24.06.2026 के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बूंदी के कार्यालय में उपलब्ध राजकीय वाहन (Maruti Suzuki XL6) के संचालन हेतु संविदा पर वाहन चालक दिनांक 01.07.2026 से 31.03.2027 तक कार्मिक विभाग के परिपत्र एवं संविदा सेवाओं के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र एफ 17(10)डीओपी/ए–II/94 दिनांक 28.03.2023 एवं समय–समय पर जारी परिपत्रों के दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चितता के अधीन कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु न्याय विभाग व अन्य राजकीय विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है–

क्र.सं.	पद	संख्या	समेकित पारिश्रमिक प्रतिमाह
1	वाहन चालक (मारूति सुजुकी XL6 हेतु)	01	14400/–

आवेदन पत्र पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को दिनांक 01.07.2026 को कार्यालय समय में सायं 5 बजे तक जरिये डाक/व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

नियम एवं कर्तव्य : संलग्नानुसार

सचिव 25.06.2026
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बून्दी

क्रमांक : 3121 – 3125 दिनांक : 25/06/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर, बूंदी को समस्त अधीनस्थ विभागों / PSUs में सूचित करने बाबत एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाये जाने बाबत।
2. समस्त अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, बूंदी न्यायक्षेत्र
3. जन सम्पर्क अधिकारी, बूंदी को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
4. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा एवं जिला न्यायालय बूंदी

सचिव 25.06.2026
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बून्दी

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बून्दी

स्थान : प्लॉट नं. 02, शिवम कॉलोनी, खेल संकुल के पीछे, बूंदी , दूरभाष/फैक्स 0747-2940061
E-Mail : dlsa9bundi@gmail.com

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :–
2. पिता/पति का नाम :–
3. जन्म तिथि:–
4. पता मय मोबाईल नम्बर :–

5. आयु :– वर्ष माह दिन
6. अर्हताएं :–
7. मूल विभाग का नाम :–

8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :–

9. अनुभव :–

10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन
 (रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे)
 एलपीसी संलग्न करें।
11. मूल पेंशन राशि
 (पीपीओ की प्रति संलग्न करें।)
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)
14. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा हैं.....

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :–

स्थान :–

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी जो सेवानिवृत्ति से पूर्व पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती रूपये मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती के विरूद्व कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्व ली जा रही है, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील

–: नियम एवं कर्तव्य :–

1. केवल ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, की समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर सेवाएं लेने हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दंडित किया गया था, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
2. वाहन चालक के पद पर पुनर्नियुक्ति हेतु उसी व्यक्ति को पात्र माना जाएगा जो वाहन चालक के पद से सेवानिवृत हुआ हो।
3. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
4. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।
5. चालक वर्दी में अथवा शिष्ट पोशाक में रहेगा और उसे कार्यालय अनुशासन व कार्यालय समय का पालन सख्ती से करना होगा।
6. चालक मादक पदार्थ, शराब या नशीले प्रभाव में वाहन नहीं चलाएगा।
7. चालक समय पर वाहन प्रस्तुत करेगा, लॉगबुक भरेगा, ईंधन पर्चियां सुरक्षित रखेगा और वाहन की सर्विस व मेन्टेनेन्स की समय सीमा की सूचना सचिव को देगा।
8. चालक को यात्रियों से निजी भुगतान लेना, वाहन का निजी उपयोग कराना, अनधिकृत व्यक्तियों को वाहन सौंपना या स्वयं निजी प्रयोजन में वाहन ले जाना निषिद्ध होगा।
9. वाहन किसी भी दशा में वाहन चालक के घर पर पार्क नहीं किया जाएगा।
10. चालक शासकीय यात्राओं की दशा में यात्रा के विवरण की गोपनीयता बनाए रखेगा विशेषकर पीडित बालक–बालिकाओं के सम्बन्ध में तथा जिला प्राधिकरण के समक्ष आने वाले संवेदनशील बिन्दुओं पर, अथवा महिला आश्रय स्थल, नारीनिकेतन, बालगृह, कारागार से संम्बन्धित संवेदनशील जानकारी से किसी बाहरी व्यक्ति को अवगत नहीं कराएगा और न ही जिला प्राधिकरण के किसी आकस्मिक निरीक्षण के विषय में किसी गोपनीय जानकारी को उद्घाटित करेगा।
11. उक्त नियम/शर्तों/कर्तव्यों में किसी भी समय अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से संशोधित किया जा सकेगा।

सचिव
9.12.2016
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बूंदी